



OPERATION CONVICTION

जनपद रामपुर



प्रेस नोट:-

“आपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत जनपद रामपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी से मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 50,000 रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अपराध का विवरण:-

अवगत कराना है कि दिनांक 08.05.2018 को अभियुक्त द्वारा कुछ दिन पहले फोन पर विवाद होने के कारण वादी के पुत्र को जान से मारने की नियत से गोली मार देना के सम्बन्ध में थाना गंज पर मु0अ0सं0- 274/18 धारा- 307 भादवि व 278/18 धारा- 25 आर्म्स एक्ट बनाम तालिब पुत्र हनीफ कुरैशी ग्रा0देवरनिया थाना अजीमनगर, रामपुर पंजीकृत किया गया था।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनीटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी, जिसके परिणाम स्वरूप आज दिनांक-10.04.2024 को मा0 न्या0 EC Act ,रामपुर द्वारा अभियुक्त तालिब उपरोक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 50,000 रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सजा का विवरण:-

अभियुक्त तालिब उपरोक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 50,000 रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

@rampurpolice

रामपुरपुलिस

@रामपुरपुलिस

7839859826